


निगम - 5780/2018/उमरिया भू-रक

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय म0प्र0, ग्वालियर कैम्प रीवा
संभाग रीवा (म0प्र0)



पुष्पराज सिंह पिता रामकुमार सिंह, उम्र-49 वर्ष, निवासी फाजिलगंज, उमरिया,
थाना-उमरिया, जिला-उमरिया (म0प्र0) — आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा नुजूल उमरिया

— अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता

अधि० श्री गंगा प्रसाद
शिवती द्वारा क्रेता।
22-9-18

कार्यकेंद्र अफिस कैंप
उमरिया मण्डल म० प्र० थाना
फाजिलगंज रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक 11/06/2018 राजस्व
प्र0क्र0 423/निगरानी/2008-09 न्यायालय कमिश्नर
महोदय शहडोल संभाग, शहडोल (म0प्र0)

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0संहिता-1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

यह कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता ग्राम रीहा तहसील ब्यौहारी का पुस्तैनी निवासी है। ग्राम रीहा बाणसागर परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में हो गया है। आवेदक छटन कैम्प उमरिया में डूब क्षेत्र विस्थापितों को वसाहत योजना के अन्तर्गत जो आदेश म0प्र0 शासन राजपत्र विभाग के पत्र क्र0-530/5982-सात/2ए/92 भोपाल दिनांक 08/10/92 द्वारा विस्थापितों को 2500 वर्गफिट भूमि दिये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। आवेदक उसी योजना के अन्तर्गत छटन कैम्प के खसरा नं0 960/1 के अंश रकवा में जिसमें आवेदक का मकान बना है 50X40=2000 वर्गफिट हेतु आवेदन किया गया है तथा नुजूल तहसीलदार राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में आवेदक को वसाहत योजना के अन्तर्गत उपरोक्त रकवा जो कृषि उपजमण्डी उमरिया को अन्तरित था उपरोक्त भूमि का देने हेतु सहमत प्रतिवेदन दिया गया व अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर की ओर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 30/09/97 को नजूल अधिकारी उमरिया द्वारा संयुक्त संचालक नगर रीवा के

(W)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

(214)

मामला क्र०-निग०/5780/उमरिया/2018/भू-रा०

जिला-उमरिया

पुष्पराज सिंह/ म०प्र० शासन

(1)	(2)	(3)
<p>27.08.19 रिक्वा डेम्प</p>	<p>प्रकरण प्रस्तुत। उभयपक्ष अनुपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की अनुपस्थिति के आधार पर यह प्रकट होता है, कि आवेदक की रुचि प्रकरण को चलाने में नहीं है। ऐसी दशा में यह प्रकरण अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। दा.द.</p>	<p>सदस्य</p>